

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-40 / 2020-21

1. मुकेश योगी, पिता-महावीर योगी, सा०-बाबुराम टोली,
पो०+थाना-बुण्डू, जिला-राँची।.....अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार अंचल बुण्डू।.....विपक्षी।

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-13 R27/2018-2019 में दिनांक-02.06.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
बुण्डू	बुण्डू	28	227	2646	2.25 डिसमील

चौहदी:-उ०-प्रस्तावित रास्ता, द०-प्लॉट नं०-2646 का अंश,
पू०-प्लॉट नं०-2646 का अंश, प०-प्लॉट नं०-2646 का अंश,

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०-13 R27/2018-2019 का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें राजस्व कर्मचारी के मंतव्यानुसार आवेदित भूमि के विक्रेता पंजी।। रैयत के पुत्र है एवं अपने दखल-कब्जे की भूमि को विक्री किया है। आवेदित भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वासगीत, सुरक्षित वन, आदिवासी खाता एवं गैरमजरूआ भूमि से बाहर है, भूमि पर क्रेता का दखल है, नामांतरण स्वीकृति की अनुशंसा की गयी है। जबकि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं पंजी।। रैयत के नाम में भिन्नता है अतएव इसी आधार पर नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।
लेखापित एवं संशोधित।

8/12/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

8/12/20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।

1144(ii)/रा०
31.12.2020

12.12.2020